>

Title: Regarding the issue of water sharing between in Sarah, Bihar, Uttar Pradesh and Nepal.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा । महोदय, मैं अपनी सीट से बोल रहा हूं, जैसा कि आपका निर्देश है । महोदय, मैं बिहार के जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां दो करोड़ लोग रहते हैं, जो सारण कमिश्नरी में हैं । नेपाल से नारायणी नदी जो बिहार में गंडक केनाल के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है, उसकी एक लंबी धार 22 किलोमीटर तक नेपाल से पानी चलता है । उसके बाद 112 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जाता है और बिहार में 68 किलोमीटर पानी आता है । वर्ष 1956 की एक संधि नेपाल के साथ है और उत्तर प्रदेश की सरकार के भी साथ है । उसमें लगभग 15,000 क्यूसेक पानी बिहार में प्रवेश करता है । 15,000 क्यूसेक पानी में से लगभग 8,000 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश को चाहिए और 8,500 क्यूसेक पानी सिवान, गोपालगंज और छपरा को चाहिए ।

मैं अपने जिले की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से हूं । मैं यह बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में, मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं कि मेरा पानी चोरी कर लिया गया है, पिछले 50 वर्षों में मेरा लगभग 48,00,000 क्यूसेक पानी चोरी हो गया है । मेरा सारण जिला है, जो इस पूरी नहर के अंतिम छोर पर है, उसे औसतन तीन से चार हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था । पिछले 55 वर्षों में जो पानी उत्तर प्रदेश के धार से चलकर बिहार के बंटवारे में मिलना चाहिए था, वह हमारे क्षेत्र में प्रवेश न कर पाने के कारण आज सारण जिला को वाटर डेफिशिएंट घोषित कर दिया गया है । ललन जी भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं ।

महोदय, मुझे यह पता लगाना है कि आखिर मेरा यह 48,00,000 क्यूसेक पानी क्या नेपाल में है? यहां पर माननीय विदेश मंत्री जी बैठे हैं । वह भी इस पर संज्ञान ले सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में ही यह 48,00,000 क्यूसेक पानी चला गया है । हमारे किसानों और बिहार के सिवान, गोपालगंज और छपरा के दो करोड़ किसानों को पिछले 50 वर्षों में और अभी के मौसम में इससे 6,000 क्यूसेक पानी हमारे इलाके को देना चाहिए था । हमारी केनाल में एक भी बूंद पानी नहीं है । यह मामला बहुत संगीन है । आज भारत सरकार ने मेरे जिले को वाटर डेफिशिएंट घोषित किया है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि मेरे पानी को तलाश करके मेरे जिले में वापस भेजा जाए, जो संधि के तहत है । मेरा चोरी किया हुआ पानी कहां है, उसे मुझे वापस लौटाया जाए ।